

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक-एफ./तक./उवसं/2021-22/4916-17

दिनांक - 8-08-2022

निमित्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

RDSA MINING LLP,

पाटनी सदन, तेली मोहल्ला,

मदनगंज-किशनगढ़

जिला-अजमेर (राज.) 305801

विषय :- Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunt, District - Pratapgarh, Rajasthan (Proposal no. FP/RJ/MIN/142599/2021)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 10 दिनांक 29.07.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के पत्रांक 34-35 दिनांक 12.01.2022 1629-30 दिनांक 11.02.2022 तथा 1734-35 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा तालिका में उल्लेखित राजस्व गांवों की गैर वन भूमि क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने हेतु प्रस्तावित की गई है, जो निम्नांकित है-

क्र. सं.	तहसील क्षेत्र	प्रस्तावित भूमियों का विवरण				
		राजस्व ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा हे.	किस्म भूमि	प्रस्तावित रकबा हे.
1	धरियावद	पहाड़ा	964	13.6290	विलानाम पहाड़	4.2692
2	धरियावद	पहाड़ा	964 / 1	6.4800	विलानाम पहाड़	5.4435
3	धरियावद	पहाड़ा	1457	20.1852	विलानाम पहाड़	5.9120
4	धरियावद	पहाड़ा	1457 / 10	17.2800	विलानाम पहाड़	9.9846
5	धरियावद	पहाड़ा	2070	38.8800	विलानाम पहाड़	19.9507
6	धरियावद	मियाणा	10	21.8756	विलानाम मगरी	13.50
7	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	429 / 83	0.82	बजड़	6.39
8	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	89	14.27	मगरी	8.51
9	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	89	11.32	मगरी	7.10

यदि जिला कलक्टर प्रतापगढ़ द्वारा उक्त गैर वन भूमियों का नीयमानुसार वन विभाग को आवंटन किया जाता है तो आप पार्ट 1 के बिन्दु संख्या L में क्षतिपुरक वृक्षारोपण आवंटित कि गई भूमि की सुचना (राजस्व मानचित्र, आवंटन आदेश, नामान्तरण आदेश, जमाबंदी राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित) अपलोड करावे। उक्त प्रस्तावित भूमि पर प्रति हे० 200 पौधों का रोपण किया जाना ही संभव है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशानुसार

क्षतिपुरक वृक्षारोपण के तहत 1000 पोधे प्रति है० का रोपण किया जाना होता है उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में शेष पोधो के रोपण हेतु इस कार्यालय द्वारा परिभाषित वन भूमी का चयन किया जा रहा है यदि आप सहमत हो तो आप सहमति प्रदान करने का अण्डरटेकिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। साथ ही अतिरिक्त क्षतिपुरक वृक्षारोपण के कार्य करने हेतु भी अण्डरटेकिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(सुनील कुमार नायसे)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:-एफ./सक./उवसं/2021-22/

प्रतिलिपि :- जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ (राज.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

दिनांक :-
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़